50

रीवा कैम्प

सदस्य महोदय म०प्र० राजस्व मंडल लिंक कोर्ट रीवा

न्यायालय श्रीमान् अनुविभागीय अधिकारी तहसील हुजूर, जिला रीवा म०प्र०

प्रथम अपील क्रमांक /2013

R-2163-III/13

यज्ञसेन सिंह तनय बद्री सिंह निवासी नेहरु नगर तहसील हुजूर,

जिला रीवा म०प्र० हाल निवासी बाण सागर कालोनी तह० हुजूर,

जिला रीवा म०प्र० ----------- अपीलान्ट आवेदक

विरुद्ध

म०प्र० राज्य ----------- ---------रेस्पा० अना०

निगरानी

अपील विरुद्ध आदेश तहसीलदार महोदय,

तहसील हुजूर, जिला रीवा दिनांक 18-3-13

बावत प्रकरण क्र० 234/अ74/11-12

अन्तर्गत धारा 44:1: म०प्र० भूराजस्व

संहिता सन 1959ई०

मान्यवर

निगरानी अपील के आधार निम्नलिखित हैं:-

1- यहकि अधीनस्थ न्यायालयका आदेश विधि एवम प्रक्रिया के विपरीत है।

2- यहकि अपी० विधिवत खरीद शुदा भूमि पर मौके पर जरिये मकान आवादी, निस्तार पक्की बाउन्ड्री गेट लगाकर अर्सा पूर्वसे काबिज है, और राजस्व नक्शे मे खरीद शुदा भूमि के नक्शा तरमीम बावत आवेदन किये जाने पर मौके की स्थिति की रिपोर्ट को ध्यान मे रख कर अधीनस्थ न्यायालय नेतारीख 15-6-12 को मुताविक स्वत्व व कब्जे के आधारपर नक्शा तरमीम

-2

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश—ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ
भाग—अ

प्रकरण क्रमांक 2163—तीन/2013 निगरानी जिला रीवा

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
9-7-18	यह निगरानी तहसीलदार हुजूर के प्रकरण क्रमांक 234/11—12 अ—74 में पारित आदेश दिनॉक 18—3—2013 के विरूद्व म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि आवेदक की मांग पर तहसीलदार हुजूर जिला रीवा ने प्रकरण क्रमांक 234/11—12 अ—74 में पारित आदेश दिनॉक 15—6—2012 से ग्राम रीवा की भूमि सर्वे नंबर 679/2 का नक्शा तरमीम किया। नक्शा तरमीम आदेश पारित होने के उपरांत आपत्तिकर्ता प्रतिभा श्रीवास्तव ने आपत्ति की, जिस पर तहसीलदार ने अभिलेखागार से प्रकरण क्रमांक 234/11—12 अ—74 मंगाया तथा आदेश दिनांक 18—3—2013 पारित करके पटवारी प्रतिवेदन दिनांक 10—6—12 के आधार पर आदेश दिनांक 15—6—12 को त्रृटिपूर्ण होना बताते हुये निरस्त कर सही स्थिति अनुसार नक्शा तरमीम का पुर्नप्रस्ताव मांग लिया। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है। 3/ आवेदक के अभिभाषक के तर्क सुने गये। श्रीमती प्रतिभा श्रीवास्तव एंव अन्य 6 को निगरानी में पक्षकार नहीं बनाया गया था किन्तु उन्होंने उपस्थिति दर्ज कराते हुये उनके अभिभाषक ने आपत्ति आवेदन के साथ तर्क प्रस्तुत किये। अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया। 4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव तहसीलदार हुजूर के प्रकरण क्रमांक 234/11—12 अ—74 में आये तथ्यों के अवलोकन से परिलक्षित है कि तहसीलदार हुजूर ने आदेश दिनॉक 15—6—2012 से ग्राम रीवा की भूमि सर्वे नंबर 679/2 का नक्शा तरमीम किया है तहसीलदार का यह आदेश म0प्र0भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 70 के अंतर्गत पारित होने से अपील योग्य आदेश है,	

किन्तु श्रीमती प्रतिभा श्रीवास्तव की इस आदेश पर आपत्ति करने पर पुनरावलोकन की अनुमति प्राप्त किये बिना स्वस्तर से आदेश दिनॉक 15–6–12 री–ओपिन करते हुये तहसीलदार हुजूर ने आदेश दिनॉक 18–3–13 से आदेश दिनांक 15–6–12 को निरस्त कर पुर्ननक्शा तरमीम के प्रस्ताव मांगने में त्रृटि की गई है जिसके कारण तहसीलदार हुजूर का अंतरिम आदेश दिनांक 13–3–13 तथा 18–3–13 नियम एंव प्रकियग के विरूद्व होने से निरस्त किये जाने योग्य हैं। जहां तक आपत्तिकर्ता श्रीमती प्रतिभा श्रीवास्तव एंव अन्य की आपत्ति का प्रश्न है ? तहसीलदार के न्यायालय के अंतरिम आदेश दिनांक 13–3–13 अनुसार श्रीमती प्रतिभा श्रीवास्तव हितबद्व पक्षकार होते हुये भी निगरानी के उन्मान में उन्हें अनावेदक नहीं बनाया गया है । श्रीमती प्रतिभा श्रीवास्तव को न्याय से बंचित न होना पड़े, वह इस आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ तहसीलदार हुजूर ने आदेश दिनॉक 15–6–2012 के विरूद्व सक्षम न्यायालय में अपील करने हेतु स्वतंत्र है।

तद्नुसार निगरानी स्वीकार की जाकर तहसीलदार हुजूर व्दारा प्रकरण कमांक 234/11–12 अ–74 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 13–3–13 तथा 18–3–13 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाते हैं।

सदस्य